मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
व्दितीय तल नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/11202/MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल दिनांक 26/02/2019

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - म.प्र.
  जिला - समस्त, मध्यप्रदेश

विषय :- गौशाला परियोजना के संचालन हेतु चारागाह विकास व नर्सरी निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ :- 1. परिषद का पत्र क्रं. 1756/MGNREGS-MP/NR-3/2018 दिनांक 13/03/2018
2. विभाग का पत्र क्रं. 124/348/2019/पं.-1/22 भोपाल दिनांक 06/02/2019

--00--

गौशाला परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विभाग के संदर्भित पत्र क्रं. 2 से दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। गौशाला के निर्माण के पश्चात उसका सफल संचालन भी किया जाना होगा। गौशाला में उपलब्ध गौवंश की हरा चारे की मांग के प्रबंधन हेतु चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण की परियोजना बनाई गई है।

गौशाला के संचालन में गौमूत्र, जैविक खाद आदि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, जिसे चारागाह विकास, वृक्षारोपाण में उपयोग किया जा सकेगा। गौशाला से उपलब्ध जैविक खाद का बेहतर उपयोग नर्सरी निर्माण में भी किया जा सकता है। गौशाला संचालन के साथ-साथ चारागाह, वृक्षारोपण व नर्सरी निर्माण की उपयोजना संयुक्त रूप से संचालित करने से बेहतर परिणाम उपलब्ध होंगे। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. चारागाह विकास उपयोजना केवल वहां ली जा सकेगी, जहां गौशाला परियोजना ली जा रही है। स्वतंत्र रूप से चारागाह विकास उपयोजना नरेगा के तहत नहीं ली जा सकेगी।
2. चारागाह विकास उपयोजना में आवश्यकता एवं जमीनी वास्तविकता के आधार पर (क) चारागाह सह वृक्षारोपण (ख) चारागाह सह वृक्षारोपण सह नर्सरी निर्माण (ग) चारागाह सह नर्सरी निर्माण (घ) केवल चारागाह निर्माण लिया जा सकेगा।
3. लगभग 2 से 5 हेक्टर भूमि का चिन्हांकन गौशाला परियोजना के समीप किया जावे।
4. परिषद के संदर्भित पत्र क्रं 1 से NRLM के स्वसहायता समूह से लगभग 2 एकड़ शासकीय भूमि में नर्सरी निर्माण की 3 वर्ष की उपयोजना के निर्देश जारी किये गये हैं।
5. चारागाह विकास व नर्सरी निर्माण हेतु न्यूनतम 2 हेक्टर भूमि की आवश्यकता होगी।

6. नर्सरी निर्माण में RCC पोल के साथ कटीले तार की फेन्सिंग 80 मी. X 100 मी. (2 एकड़) में अनुमत किया गया है, चारागाह सह नर्सरी निर्माण उपयोजना हेतु इस मात्रा से अधिक क्षेत्र में कटीले तार की फेन्सिग महात्मा गाँधी नरेगा मद से अनुमत नहीं होगी। शेष क्षेत्र में यदि आरसीसी पोल के साथ कंटीले तार की फेंसिंग कराई जाना है तो अन्य मद के साथ अभिसरण किया जा सकता है। यदि अभिसरण में राशि उपलब्ध नहीं है. उस स्थिति में पशु अवरोधक खंती आकार 1.5 मी. चौड़ाई व 1 मी. गहरी की जा सकेगी। क्षेत्र में बोल्डर उपलब्ध होने पर सुरक्षा हेतु बोल्डर की दीवार भी बनाई जा सकेगी।
7. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत मूल रूप से उत्तरदायी होगी। ग्राम पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह क्षेत्र में सक्रिय व इस कार्य में भावनात्मक रूप से जुड़ने वाले आजीविका मिशन के महिला स्वसहायता समूह से (अथवा स्वयं सेवी संस्था के साथ अनुबंध निष्पादित कर) परियोजना का क्रियान्वयन करा सकेगी।
8. नर्सरी निर्माण के निर्देश में स्व सहायता समूह को सामग्री के मद में अग्रिम देने के प्रावधान हैं, जो यथावत रहेगा परंतु चारागाह सह नर्सरी निर्माण में ग्राम पंचायत या स्वयं सेवी संस्था को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
9. सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता हेतु बड़े आकार का कूप जिसका आंतरिक व्यास 6 मी. एवं गहराई 12 मी. से 15 मी. का निर्माण किया जाना उपयुक्त होगा। आवश्यकता के आधार पर छोटे आकार का कूप जिसका आंतरिक व्यास 5 मीटर एवं गहराई 12 से 15 मीटर भी लिया जा सकेगा।
10. आवश्यकता के आधार पर खेत तालाब, तालाब, स्टापडेम आदि भी सिंचाई के उपयोग हेतु लिया जा सकते हैं।
11. नर्सरी के मानक प्राक्कलन में विदयुत मोटर एवं पाईप क्रय करने का प्रावधान किया गया है। अतएव यदि नरेगा से विदयुत मोटर एवं पाईप क्रय किया जा रहा है, तब अन्य मद से इसका क्रय नहीं किया जावे।
12. नर्सरी के मानक प्राक्कलन में वार्षिक विदयुत व्यय प्रावधानित है। अतएव यदि मनरेगा से विदयुत व्यय किया जा रहा है, तब अन्य किसी मद से इसका भुगतान न किया जावे।
13. नर्सरी में प्रावधानित लगभग 12 फीट चौड़ाई का ग्रेवल मार्ग निर्माण काम्पेशन सहित लिये जाने का प्रावधान है, यह कार्य चारागाह के क्षेत्र में भी अनुमत होगा। ध्यान रखा जाये कि ग्रेवल सड़क का प्राक्कलन, नर्सरी के मानक प्राक्कलन में ही सम्मिलित है अत: स्वतंत्र रूप से ग्रेवल सड़क का निर्माण नहीं किया जाये।
14. नर्सरी निर्माण के मानक प्राक्कलन में स्टोररूम-सह-चौकीदार रूम के निर्माण का प्रावधान है जिसे आवश्यकतानुसार लिया जा सकेगा।
15. नर्सरी निर्माण कार्य के संदर्भित पत्र में दिये गये शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

चारागाह विकास हेतु निर्देश :- चारागाह एवं नर्सरी हेतु स्थल चयन करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये -

16. चयनित स्थल पर पानी का स्त्रोत/ संभावना होना अनिवार्य है। अत: सर्वप्रथम कूप. तालाब/खेत तालाब आदि का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाकर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
17. चयनित स्थल पर यथा संभव बिजली का स्त्रोत रहे।
18. स्थानीय परिस्थिति, भूमि की उपलब्धता एवं निर्धारित मानक लागत के अनुक्रम में तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जावेगी। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति संयुक्त परियोजना (चारागाह, नर्सरी एवं वृक्षारोपण) के लिए दी जा सकेगी।
19. चारागाह विकास कार्य का नरेगा सॉफ्ट में पंजीयन grass land development श्रेणी में किया जाए, परियोजना की डीपीआर फ्रीजिंग उपरांत चारागाह स्थल की जियोटैगिंग की जाकर कार्य प्रारंभ किया जाए।
20. ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायत के साथ अनुबंधित स्वयम सेवी संस्था द्वारा क्रियान्वयन का कार्य किये जाने पर सामग्री के भुगतान हेतु संबंधित प्रदायकर्ता को वेंडर मान्य किया जाए। स्वसहायता समूह से क्रियान्वयन कराये जाने पर सामग्री का क्रय व भुगतान करने हेतु स्वसहायता समूह को ही वेंडर मान्य किया जाए।
21. नेपियर घास, गिनी घास, पैरा घास को 1 हेक्टर क्षेत्र में रोपित करने एवं 5 वर्ष तक रखरखाव कर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये चारागाह विकसित किया जाना है। पशुपालन/कृषि विभाग के साथ चारागाह विकास हेतु मानक लागत, मजदूरी के श्रम दिवस एवं सामग्री मद में भुगतान योग्य राशि निम्नानुसार होगी :-

वर्ष	सामग्री मद (राशि रू. में)	श्रम दिवस (संख्या)
प्रथम	1,14,195	578
द्वितीय	23,824	449
तृतीय	24,210	446
चतुर्थ	25,210	463
पंचम	26,210	476
योग	**2,13,649**	**2,412**

वर्ष 2018-19 में प्रचलित अकुशल मजदूरी दर 174 के आधार पर चारागाह उप योजना की मानक लागत राशि रूपये 6,33,337 प्राक्कलित होगी।

22. क्रियान्वयन एजेंसी को एक हेक्टेयर क्षेत्र में केवल चारागाह विकास हेतु मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार किया जा सकेगा।

22.1 प्रथम वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 7 किश्तो में किया जा सकेगा :

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
पहली	CPT निर्माण 400 m (@79.05 प्रति मी., 4.05/- सामग्री एवं 0.43	1620	172
	भूमि की तैयारी (fork जुताई दो वार, कल्टीवेटर दो वार, क्यारी बनाना)	9322	40
	भूमि में सिंगल सुपर फास्फेट 300 Kg, म्यूरेट ऑफ पोटॉश 50Kg, यूरिया 100Kg व गोबर की खाद 15 मी. टन डालना,	18453	-
	सिंचाई एवं सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	2
	योग	32395	214
दूसरी	रूट स्लिप एवं रूट स्लिप लगाना,	45000	12
	सिंचाई, यूरिया 85 Kg कटाई तथा चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन	510	49
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	योग	48510	61
तीसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिग, गोबर की खाद एवं यूरिया 83 Kg	2498	70
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	1500	-
	योग	6998	70
चौथी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा, प्रबंधन, एवं खरपतवार नियंत्रण, यूरिया 83Kg व गोबर का खाद 2 मी. टन डालना	2498	45
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	योग	5498	45
पांचवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिग, गोबर की खाद एवं यूरिया	2498	70
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	1500	-
	योग	6998	70

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
छठवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा, प्रबंधन, एवं खरपतवार नियंत्रण, यूरिया 83Kg व गोबर का खाद 2 मी. टन डालना	2498	45
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	योग	5498	45
सातवीं	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg व गोबर का खाद 2 मी. टन डालना	2498	68
	सूचना पटल (आकार - 1.5m X 1.2m,	3800	5
	Miscellaneous charges	2000	-
योग		8298	74
महायोग		114195	578

Miscellaneous charge एक/दो/तीन किश्तों में आवश्यकता अनुसार दिया जा सकेगा।

22.2 द्वितीय वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 6 किश्तो में किया जा सकेगा :-

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
पहली	CPT निर्माण 80 m (@79.05 प्रति मी., 4.05/- सामग्री एवं 0.43	324	35
	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया, 85 Kg	510	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	
योग		3834	102
दूसरी	सिंचाई, कटाई तथा चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
योग		3498	67
तीसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	1500	8
योग		4998	75

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
चौथी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg डालना	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
योग		3498	67
पांचवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
योग		3498	67
छठवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा, प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg डालना	498	65
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	1000	6
	योग	4498	71
महायोग		23824	449

विद्युत व्यय प्रत्येक माह में राशि रू. 1500 की दर से किया जा सकेगा।

22.3 तृतीय वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 6 किश्तों में किया जा सकेगा :

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
पहली	CPT निर्माण 40 m (@79.05 प्रति मी., 4.05/- सामग्री एवं 0.43	210	18
	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 85 Kg	510	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	
योग		3720	85
दूसरी	सिंचाई, कटाई तथा चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
तीसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण,	498	67

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
	रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg		
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	1500	8
योग		4998	75
चौथी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
योग		3498	67
पांचवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
योग		3498	67
छठवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा, प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg	498	65
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	1500	20
	योग	4998	85
महायोग		24210	446

22.4 चतुर्थ वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 6 किश्तो में किया जा सकेगा :

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
पहली	CPT निर्माण 40 m (@79.05 प्रति मी., 4.05/- सामग्री एवं 0.43	210	18
	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 85 Kg	510	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	
योग		3720	85
दूसरी	सिंचाई, कटाई तथा चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
योग		3498	67
तीसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	1500	8
योग		4998	75
चौथी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
योग		3498	67
पांचवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
योग		3498	67
छठवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा, प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg	498	65
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	2500	37
	योग	5998	102
महायोग		25210	463

विद्युत व्यय प्रत्येक माह में राशि रू. 1500 की दर से किया जा सकेगा।

22.5 पंचम वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 6 किश्तों में किया जा सकेगा :-

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
पहली	CPT निर्माण 40 m (@79.05 प्रति मी., 4.05/- सामग्री एवं 0.43	210	18
	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 85 Kg	510	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	
योग		3720	85
दूसरी	सिंचाई, कटाई तथा चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
तीसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-

किश्त	किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
	Miscellaneous charges	1500	29
	योग	4998	96
चौथी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	योग	3498	67
पांचवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83 Kg	498	67
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	योग	3498	67
छठवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा, प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिग, यूरिया 83Kg	498	65
	सिंचाई हेतु विद्युत व्यय	3000	-
	Miscellaneous charges	3500	29
	योग	6998	94
	महायोग	26210	476

विद्युत व्यय प्रत्येक माह में राशि रू. 1500 की दर से किया जा सकेगा।

उक्त तालिका में CPT के संबंध में दर्शित गणना केवल मार्गदर्शी है, स्थल के आकार के अनुसार CPT (पशु अवरोधक नाली) का कार्य वास्तविक लम्बाई में लिया जावे एवं तदानुसार प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृतियॉ दी जावे।

चारागाह क्षेत्र की मेड़ पर वृक्षारोपण -

23. चारागाह क्षेत्र की मेड़ पर मुनगा, सुबबूल आदि के वृक्षो का रोपण का 1 हेक्टर क्षेत्र में 133 पौधों (चारागाह के बाउंड्री पर) 3mx3m के अंतराल एवं 5 वर्ष तक रखरखाव कर मुनगा, सुबबूल आदि की पत्तियों से गौवंश का पोषण किये जाने हेतु मानक लागत राशि

का विवरण निम्नानुसार होगा :

प्रथम	7980	141
द्‌वितीय	5330	80
तृतीय	4980	40
चतुर्थ	4655	37
पंचम	4655	37
योग	**27,600**	**335**

वर्ष 2018-19 में प्रचलित अकुशल मजदूरी दर 174 के आधार पर चारागाह क्षेत्र की मेड पर वृक्षारोपण उप योजना की मानक लागत राशि रूपये 85,890 प्राक्कलित होगी।

24. क्रियान्वयन एजेंसी को एक हेक्टेयर क्षेत्र में मेढ़ पर मुनगा, सुबबूल आदि के रोपण हेतु मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार किया जा सकेगा :

24.1 प्रथम वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 4 किश्तो में किया जा सकेगा :

किश्त भुगतान	सामग्री	मा. दि.
पौधा रोपण के लिये गड़ढा खोदकर मिट्टी एवं खाद डालकर तैयारी करने पर	0	26
पौधरोपण करने पर	3325	3
खाद उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवाये (गोबर की खाद- 10 कि.लो. /पौधा. सिंगल सुपर फास्फेट- 600 ग्राम/पौधा, म्यूरेट ऑफ पोटास- 200 ग्राम/पौधा, यूरिया- 200 ग्राम /पौधा, थीमेट/फॉरेट - 25 ग्राम प्रति पौधा, कीटनाशक दवाये- आवश्यकतानुसार	4655	0
सिंचाई, निंदाई, गुडाई, कटाई - छंटाई, मल्चिंग (घास- फूस से ढंकना) पौधों को सहारा देना, दवा छिडकाव थाला बनाना, मिट्टी चढ़ाना इत्यादि सम्पूर्ण देख-रेख। प्रथम वर्ष के अंत में।	0	112
कुल योग :-	7,980	141

24.2 द्‌वितीय वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 3 किश्तो में किया जा सकेगा :

किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
मृत पौधों के स्थान पर गैप फिलिंग हेतु पौधरोपण	675	6
खाद उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवाये (गोबर की खाद- 10 कि.लो. /पौधा. सिंगल सुपर फास्फेट- 600 ग्राम/पौधा, म्यूरेट ऑफ पोटास- 200 ग्राम/पौधा, यूरिया- 200 ग्राम /पौधा, थीमेट/फॉरेट - 25 ग्राम प्रति पौधा, कीटनाशक दवाये- आवश्यकतानुसार	4655	0

किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
सिंचाई, निंदाई, गुडाई, कटाई - छंटाई, मल्चिंग (घास- फूस से ढंकना) पौधों को सहारा देना, दवा छिडकाव थाला बनाना, मिट्टी चढ़ाना इत्यादि सम्पूर्ण देख-रेख। द्वितीय वर्ष के अंत में।	0	74
कुल योग :-	5,330	80

24.3 तृतीय वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 3 किश्तो में किया जा सकेगा :-

किश्त भुगतान	सामग्री	मा.दि.
मृत पौधों के स्थान पर गैप फिलिंग हेतु पौधरोपण	325	3
खाद उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवाये (गोबर की खाद- 10 कि.लो. /पौधा. सिंगल सुपर फास्फेट- 600 ग्राम/पौधा, म्यूरेट ऑफ पोटास- 200 ग्राम/पौधा, यूरिया- 200 ग्राम /पौधा, थीमेट/फॉरेट - 25 ग्राम प्रति पौधा, कीटनाशक दवाये- आवश्यकतानुसार	4655	0
सिंचाई, निंदाई, गुडाई, कटाई - छंटाई, मल्चिंग (घास- फूस से ढंकना) पौधों को सहारा देना, दवा छिडकाव थाला बनाना, मिट्टी चढ़ाना इत्यादि सम्पूर्ण देख-रेख। तृतीय वर्ष के अंत में।	0	37
कुल योग :-	4,980	40

24.4 चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में मानक लागत का भुगतान निम्नानुसार 2 किश्तो में किया जा सकेगा:-

किश्त भुगतान	सामग्री	मा. दि.
खाद उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवाये (गोबर की खाद- 10 कि.लो. /पौधा. सिंगल सुपर फास्फेट- 600 ग्राम/पौधा, म्यूरेट ऑफ पोटास- 200 ग्राम/पौधा, यूरिया- 200 ग्राम /पौधा, थीमेट/फॉरेट - 25 ग्राम प्रति पौधा, कीटनाशक दवाये- आवश्यकतानुसार	4655	0
सिंचाई, निंदाई, गुडाई, कटाई - छंटाई, मल्चिंग (घास- फूस से ढंकना) पौधों को सहारा देना, दवा छिडकाव थाला बनाना, मिट्टी चढ़ाना इत्यादि सम्पूर्ण देख-रेख। चतुर्थ, पंचम वर्ष के अंत में।	0	37
कुल योग :-	4,655	37

25 संयुक्त परियोजना (चारागाह, वृक्षारोपण व नर्सरी निर्माण) में चारागाह विकास का तालिका 22.1 से 22.5 में वर्षवार निर्धारित किश्तों में तथा चारागाह की मेढ़ पर पौधरोपण का तालिका 24.1 से 24.4 में वर्षवार निर्धारित किश्तों में स्टेजवार, वर्षवार मूल्यांकन उप यंत्री द्वारा एवं मूल्यांकन सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा तथा ग्राम पंचायत द्वारा पास आर्डर

लगाये जाने के उपरान्त मजदूरी एवं सामग्री मद का भुगतान एफटीओ के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जावेगा।

26 संयुक्त परियोजना में लिये गये नर्सरी निर्माण उपयोजना का मूल्यांकन उपरोक्त बिन्दु 25 के अनुसार संबंधित उपयंत्री के मूल्यांकन अनुसार ही किया जावेगा।

(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(जी.व्ही. रश्मि)
आयुक्त
म.प्र.रा.रो.गा. परिषद

पृ. क्र./ 11203 /MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल दिनांक 26 /02/2019

प्रतिलिपि :

1. मान. मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव।
2. निज सचिव, समस्त मान. मंत्री/राज्य मंत्री, म.प्र.।
3. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सा.प्र.वि./गृह/वन/राजस्व/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ऊर्जा/पशुपालन/किसान कल्याण एवं कृषि/उद्यानिकी।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. संभागायुक्त, समस्त संभाग म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आजीविका मिशन, म.प्र. भोपाल।
8. आयुक्त, मनरेगा म.प्र. भोपाल।
9. संचालक, पंचायतराज संचालनालय, म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आयुक्त
म.प्र.रा.रो.गा. परिषद